REET 2025
LEVEL-2
वंदन बैच
POLITY
संसद
Parliament
LIVE
12-01-2024 10:00 AM

REET POLITY संसद

संसद
→ सर्वोच्च पंचायत
→ जनता की पंचायत

REET POLITY संसद

सरकार

संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है। सरकार के निम्नलिखित अंग होते हैं-

REET POLITY संसद

सरकार के अंग

- **व्यवस्थापिका**
  - विधायिका
  - ⇓
  - कानून बनाना
- **कार्यपालिका**
  - कानून लागु करना
- **न्यायपालिका** (→ स्वतंत्र)
  - कानून की व्याख्या करना / कानून की जांच करना

REET POLITY संसद

व्यवस्थापिका

- राष्ट्रपति
- लोकसभा
- राज्यसभा

विधायिका

⇓

अनु. 79 → संसद की संरचना

→ राष्ट्रपति + लोकसभा + राज्यसभा

संसद के सदन ⇒ लोकसभा + राज्यसभा

* निम्नलिखित में से संसद का भाग नहीं है?

(A) राष्ट्रपति (B) लोकसभा (C) राज्यसभा (D) विधानसभा

REET POLITY संसद

कार्यपालिका → कानून को लागु करना

- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद्
- महान्यायवादी — देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी

➢ भारतीय राजव्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन दो स्तर पर हुआ है।

REET POLITY संसद

- **विधायिका** - जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है।

REET POLITY संसद

व्यवस्थापिका/विधायिका

- **संघीय व्यवस्थापिका** (केन्द्रीय)
  - संसद
    - राष्ट्रपति
    - लोकसभा
    - राज्यसभा
- **राज्य व्यवस्थापिका**
  - राज्य विधानमण्डल
    - राज्यपाल
    - विधानसभा
    - विधानपरिषद

REET POLITY संसद

- संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद का नाम दिया गया है।
- भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं जिसके पास निम्नलिखित राजनैतिक अधिकार होते हैं:-

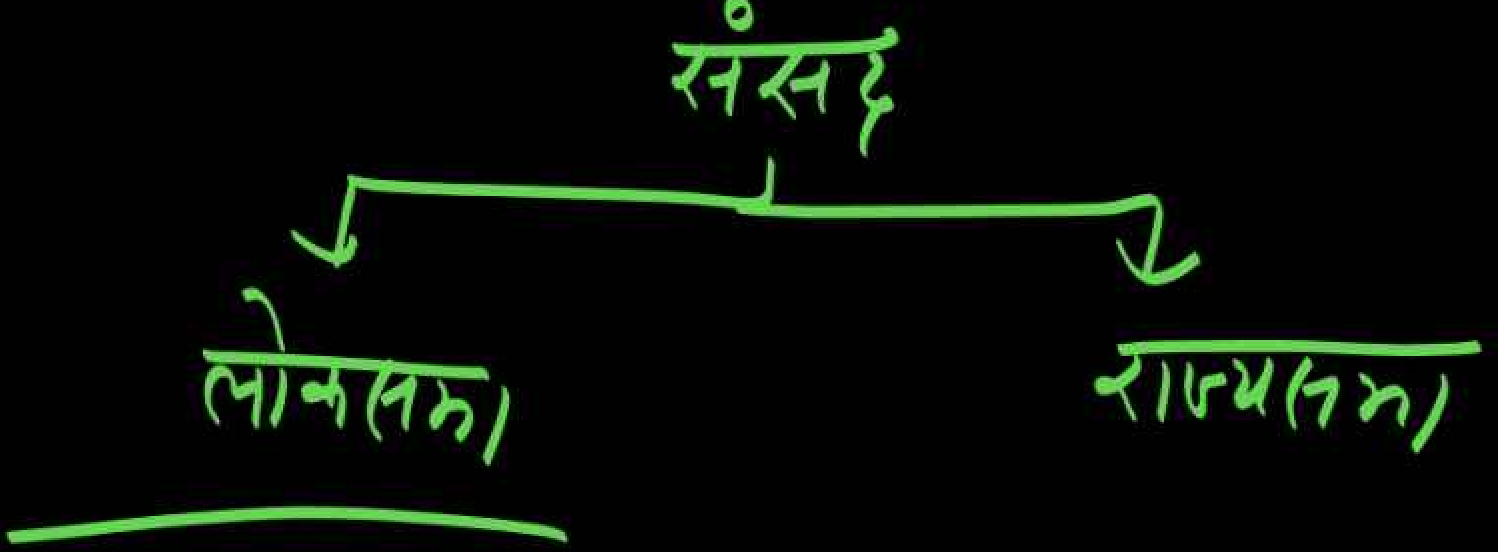

REET POLITY संसद

i. देश में कानून बनाने/ विधि निर्माण का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास होता है।

ii. संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करती है। → कार्यपालिका

iii. सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है।

iv. सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है।

REET POLITY संसद

➢ विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के नाम

देश	व्यवस्थापिका
भारत	संसद
ब्रिटेन	पार्लियामेंट
अमेरिका	कांग्रेस
जर्मनी	बुण्डेस्टांग
ईरान	मजलिस

REET POLITY संसद

- संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गयी है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी। इसका निर्माण राष्ट्रपति और संसद के दो सदनों लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर होगा अर्थात्- हमारे देश में संसद के दो सदन हैं। दोनों सदनों में एक राज्यसभा (काउंसिल ऑफ स्टेट्स) और दूसरे को लोकसभा (हाउस ऑफ पीप'ल) के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसीलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं।

पास ⇒ 543
→ 420 उपस्थित
→ $\frac{420}{2} + 1 = 211$

संसद

लोकसभा ✓✓ → राज्यसभा ✓✓ → राष्ट्रपति ✗ / ✓✓

Bill (विधेयक) ⇒ पेपर चोरी करने वालों को - 10 साल की सजा
व 50 लाख का जुर्माना

↓

पेश → मंत्री

कानून

REET POLITY संसद

- भारत में आधुनिक रूप में लोकतंत्र एवं संसद के रूप में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना ब्रिटिश शासन की देन है।

- हालांकि प्रतिनिधि निकाय तथा लोकतांत्रिक स्वशासी संस्थाएँ भारत में ऋग्वैदिक काल से ही विद्यमान रही है।

REET POLITY संसद

- ऋग्वेद में 'सभा' और 'समिति' नामक दो संस्थाओं का उल्लेख आता है। समिति आधुनिक लोकसभा के सदृश्य मानी जा सकती है, जबकि सभा विशिष्ट लोगों का संगठन थी, जिसका स्वरूप आजकल की राज्यसभा से मिलता जुलता था।

REET POLITY संसद

- भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) द्वारा केन्द्रीय स्तर पर एक सदनीय विधान परिषद् के स्थान पर द्विसदनीय विधान मंडल बनाया गया जिसमें एक था- राज्य परिषद् और दूसरा था विधानसभा ।

- प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे |

राज्यसभा

गठन :-

- संविधान के अनुच्छेद 80 के अन्तर्गत गठित राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन या राज्यों के सदन नाम से भी जाना जाता है। [विद्वानो का सदन]
- राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान या समाजसेवा में विशेष ज्ञान का अनुभव वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है।
- राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों को मनोनीत करना आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है।

REET POLITY संसद

- संविधान की चौथी अनुसूची के द्वारा जनसंख्या के आधार पर राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। सर्वाधिक उत्तरप्रदेश को 31 व राजस्थान को 10 सीटें आवंटित की गई है।
- संघ राज्य क्षेत्रों में से वर्तमान में केवल जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं पुदुचेरी को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

उत्तरप्रदेश → 31
राजस्थान → 10

REET POLITY संसद

राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएँ :-

Age → 30 year [न्यूनतम]

- आयु विषमता को छोड़कर राज्यसभा के सदस्यों के लिए वे ही योग्यताएँ हैं जो लोकसभा सदस्यों के लिए है।
- लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु किन्तु राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक की आयु होनी आवश्यक है।

भारत का नागरिक

REET POLITY संसद

राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन :-

- राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।
- राज्यसभा का निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है।
- 2003 ई. में राज्यसभा चुनाव के लिए दो संशोधन किए गए है-

REET POLITY संसद

1. प्रत्याशी जिस राज्य से निर्वाचित होना चाहता है, उसका मूल निवासी होने की शर्त हटा दी गई है।

2. गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर खुली मतदान प्रणाली अपनायी गई है।

• सोनिया गांधी किस राज्य से राज्यसभा सदस्य है?

(A) UP (B) mp (C) राजस्थान (D) पंजाब

REET POLITY संसद

राज्यसभा की अवधि :-

- मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की गई थी। इसे संसद पर छोड़ दिया गया था।
- संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तय किया।
- राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत होते रहते हैं व उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते रहते हैं।

REET POLITY संसद

राज्यसभा के पदाधिकारी:-

- राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं- सभापति और उपसभापति ।
- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। (अनुच्छेद 64 और 89)

वर्तमान उपराष्ट्रपति → जगदीप धनकड़

REET POLITY संसद

लोकसभा

- लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन/प्रथम सदन/लोकप्रिय सदन कहलाता है। इसका गठन अनुच्छेद 81 के अनुसार होता है। → जनता का सदन
- मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी।

REET POLITY संसद

- सातवें संविधान संशोधन, 1956 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 525 निर्धारित कर दी गई जिनमें से 500 सदस्य राज्यों के लिए तथा 25 सदस्य केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित किये गये।
- 31वें संविधान संशोधन, 1973 द्वारा लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 545 कर दी गई जिनमें से 525 सीटें राज्यों के लिए तथा 20 सीटें केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की गई।

1950 – 500
1956 → 525
1973 → 545
1985 - 550

REET POLITY संसद

- गोआ, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 550 तय कर दी गई जिनमें से 530 सदस्य राज्यों के लिए तथा 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गये।

- अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दो आंग्लभारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जा सकेगा।
  - 104वां संविधान संशोधन 2019
  - आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है।

लोकसभा

अधिकतम सदस्य (550)

↓

i. राज्यों से (530)

ii. संघीय क्षेत्रों से (20

केन्द्र शासित प्रदेश

वर्तमान

वास्तविक सदस्य (543)

↓

i. राज्यों से (524)

ii. संघीय क्षेत्रों से (19)

राज्यसभा

अधिकतम सदस्य

(250)

↓

i. मनोनीत (12)

ii. निर्वाचित → २३८

कला, साहित्य विज्ञान और समाजसेवा

वास्तविक सदस्य

(245)

↓

i. मनोनीत (12)

ii. निर्वाचित

(233)

REET POLITY संसद

- वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः 84 और 47 है।
- अनुसूचित जाति की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश (17 सीटें)
- अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक सीटें- मध्यप्रदेश (6 सीटें)
- राजस्थान में अनुसूचित जाति की सीटें 4 (श्री गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली-धौलपुर)
- राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सीटें 3 (दौसा, उदयपुर, डूंगरपुर-बांसवाड़ा)

84
47
131

लोकसभा में आरक्षित सीटें → अनुसूचित जाति [SC] → 84

→ अनुसूचित जनजाति [ST] → 47

राजस्थान में लोकसभा आरक्षित सीट → अनुसूचित जाति → 4

→ अनुसूचित जनजाति → 3

REET POLITY संसद

लोकसभा सदस्यों की योग्यताएँ :-

- लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल-सदस्यीय रखे गए है।
- लोकसभा सदस्यों के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक है-

i. वह भारत का नागरिक हो।

ii. जिसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो।

iii. वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो।

iv. वह पागल ना हो तथा किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो।

REET POLITY संसद

अवधि/कार्यकाल-

- लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- 1976-77 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था।

REET POLITY संसद

लोकसभा के पदाधिकारी :-

- अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। दोनों को पद से हटाने के लिए लोकसभा में कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना देकर सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास करना जरूरी है।
- अध्यक्ष लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य होता है और उपाध्यक्ष को विपक्षी पार्टी से बनाए जाने की परम्परा है। यद्यपि ऐसी कोई संवैधानिक राजनीतिक बाध्यता नहीं है।

REET POLITY संसद

लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ:- [स्पीकर]

1. सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। सदस्यों को बोलने का समय देता है। सदन में मतदान के लिए लाए गए विषय पर मतदान करवाता है।
2. वह प्रथमतः अपना मत नहीं देता परन्तु पक्ष-विपक्ष में बराबर मत आने पर अपना निर्णायक मत देता है।
3. सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। सदन की प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करता है।
4. अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

Ex ⇒

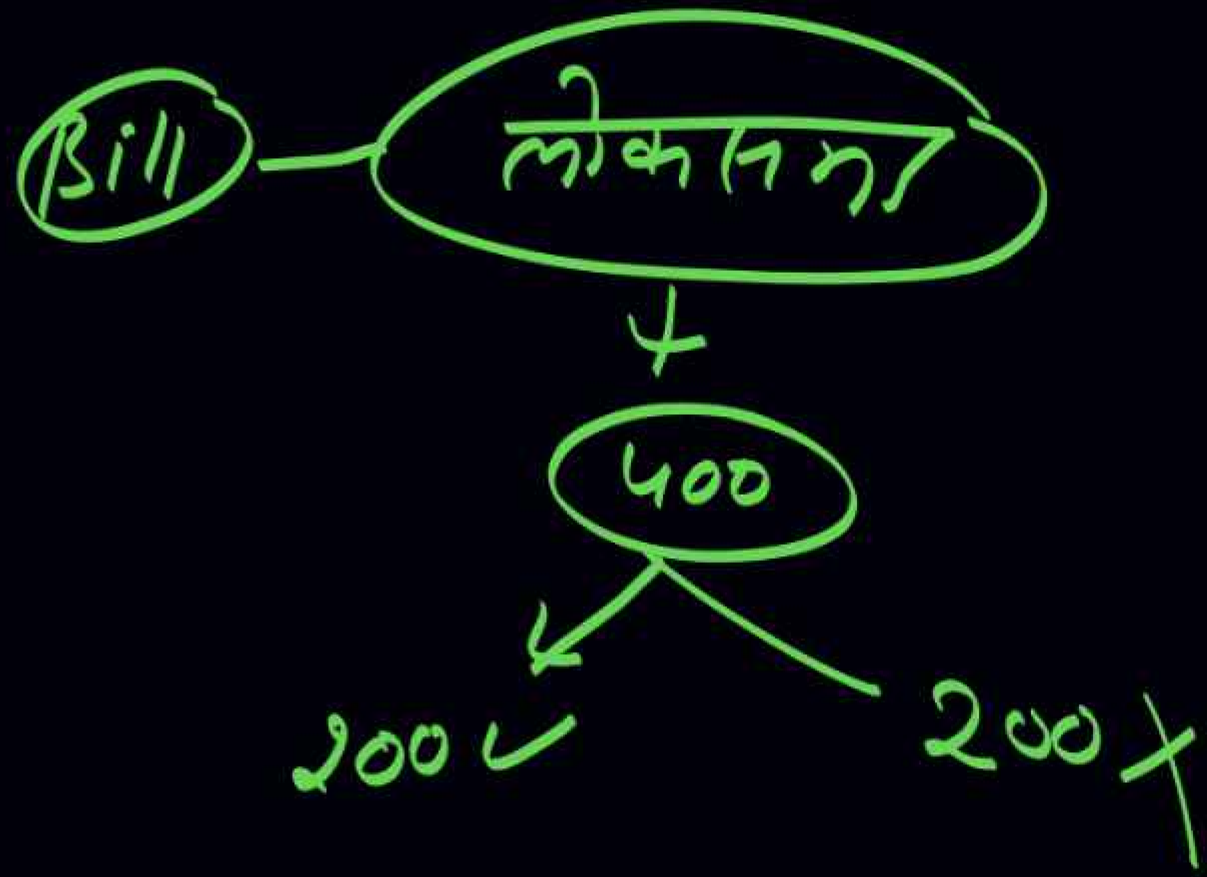

vote ⇒ स्वीकर ⇒ कास्टिंग vote कहा जाता है |

निर्णायक मत

REET POLITY संसद

5. वह सदन के सत्र को स्थगित करता है, हालांकि सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है।

→ समाप्त करना

6. वह सदन में दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निर्योग्यता के बारे में भी फैसला करता है।

A → B

7. संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार अध्यक्ष के द्वारा ही होता है।

8. संसदीय विशेषाधिकारों के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति।

वर्तमान स्पीकर = ओम बिरला

नोट- स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे।

REET POLITY संसद

सदस्य हेतु अर्हताएँ:-

- कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। व्यक्ति अधिकतम दो स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है।
- अगर वह दोनों स्थानों से निर्वाचित होता है तो एक माह के भीतर एक पद छोड़ना पड़ता है।
- दसवीं अनुसूची के अनुसार किसी संसद सदस्य को दल बदल का दोषी पाए जाने पर सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है।
- इनके अलावा सदस्य के चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध होने पर सदस्यता बर्खास्त की जा सकती है।

REET POLITY संसद

दल-बदल निरोधक कानूनः-

- 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 'दलबदल निरोधक कानून' लाया गया तथा इसके लिए संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे पुनः संशोधित किया गया। 2/3 सदस्य → दूसरी पार्टी
- यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे तो उसे 'दलबदल' कहते हैं।
- सदन का अध्यक्ष दलबदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है।

REET POLITY संसद

गणपूर्ति (कोरम) :-

10%

- कोरम अथवा गणपूर्ति सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है, जिनकी उपस्थिति से सदनों की कार्यवाही को वैधानिकता प्राप्त होती है।
- यह संख्या प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग होता है। 1/10
- लोकसभा में यह संख्या 55 सदस्य (543 का 10वां भाग) और राज्यसभा में 25 सदस्य (245 का 10वाँ भाग) है।

REET POLITY संसद

महान्यायवादी व मंत्रियों के ससंद में अधिकार :-

- अनुच्छेद 88 में वर्णित है कि प्रत्येक मंत्री व भारत के महा न्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा।
- महान्यायवादी को संसद में मतदान का अधिकार नहीं है तथा मंत्री मतदान केवल उसी सदन में कर सकेगा, जिस सदन का वह सदस्य है।
- प्रत्येक मंत्री संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने व बोलने का अधिकारी होता है, परन्तु वह मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिस सदन का वह सदस्य है।

REET POLITY संसद

संसद के कार्य:-

- संसद का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों के विषयों पर कानून निर्माण करना है।
- संविधान की 7वीं अनुसूची में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है - केन्द्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।

केन्द्र सूची → केन्द्र सरकार

राज्य सूची → राज्य सरकार

समवर्ती सूची → केन्द्र, राज्य

विवादित → केन्द्र सरकार का कानून मान्य

REET POLITY संसद

1. **केन्द्र सूची :-** केन्द्र सूची के विषयों पर कानून बनाना केवल संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।
2. **राज्य सूची :-** राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति राज्य विधान मण्डलों को प्राप्त है।
3. **समवर्ती सूची :-** समवर्ती सूची पर केन्द्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। एक ही विषय पर केन्द्र व राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में परस्पर टकराव होने पर केन्द्र का कानून प्रभावी रहता है।

नोट - जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते उन्हें अवशिष्ट विषयों के अन्तर्गत माना जाता है। इन पर कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है।

REET POLITY संसद

- देश के मुसलमानों व इसाईयों के सामाजिक, धार्मिक जीवन के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है।

- उन्हें यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि उनके लिए अपने पर्सनल लॉ बॉर्ड होंगे, जो उनके सामाजिक जीवन के नियमों का निर्धारण करेंगे।

REET POLITY संसद

संसद के सत्र :-

- अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करता है।
- भारतीय संसद में प्रतिवर्ष तीन सत्र होते हैं-

i. बजट सत्र (फरवरी-मई)

ii. मानसून सत्र (जुलाई-सितम्बर)

iii. शीतकालीन सत्र (नवम्बर-दिसम्बर)

REET POLITY संसद

- संसद के एक सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है।

REET POLITY संसद

संसद

स्थगन का अधिकार

→ आगे बढ़ाना

↓

पीठासीन अधिकारी
(लोकसभा में अध्यक्ष तथा
राज्यसभा में सभापति

सत्रावसान का अधिकार

↓

समाप्त करना

राष्ट्रपति

REET POLITY संसद

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक :-

- (अनुच्छेद 108) पहले सदन से साधारण विधेयक पारित होकर दूसरे सदन में जाने पर यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे अथवा उसमें ऐसे संशोधन करें, जिससे पहला सदन सहमत न हो अथवा दूसरा सदन विधेयक पर 6 माह तक चर्चा ही न करे तब माना जाएगा कि उस विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया है।

* अनु. 108 - यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद हो जाता है और वह कानून राष्ट्र हित के लिए महत्वपूर्ण है तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है।

REET POLITY संसद

- ऐसे मतभेद का समाधान संयुक्त बैठक में होता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक आमंत्रित करने का अधिकार है।
- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक में निर्णय दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है।
- अब तक केवल तीन विधेयकों पर ही संयुक्त बैठक आयोजित की गई है।

REET POLITY संसद

विधेयकों के प्रकार

Bill

- सरकारी विधेयक — मंत्री द्वारा पेश किया जाता है।
- गैर सरकारी विधेयक — सदस्य द्वारा पेश किया जाता है।
- गैर वित्त विधेयक
  - साधारण विधेयक
  - संविधान संशोधन विधेयक
- वित्त विधेयक

REET POLITY संसद

- कानून बनाने के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहते हैं। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- विधेयकों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है- सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक ।
- यदि विधेयक मंत्री परिषद् के किसी सदस्य द्वारा सदन में रखा गया है तब उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है, जबकि साधारण सदस्यों द्वारा रखा गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है।

REET POLITY संसद

विधेयकों का पारित होना:-

- विधेयक को पास होने के लिए प्रत्येक सदन में तीन वाचनों से गुजरना पड़ता है

1. सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देना ही उसका प्रथम वाचन कहलाता है।
2. द्वितीय वाचन के अन्तर्गत एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है जो विधेयक पर बारीकी से विचार करती है। प्रत्येक धारा पर चर्चा की जाती है। निर्धारित अवधि में समिति अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करती है, जिस पर सदन में बहस एवं विचार विमर्श होता है। इसकी प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। इसके बाद विधेयक में आवश्यक शाब्दिक व औपचारिक संशोधन किए जाते हैं।
3. तृतीय वाचन में सामान्य चर्चा के उपरांत मतदान होता है।

- तत्पश्चात् दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है।

REET POLITY संसद

धन विधेयक:-

- धन विधेयक को परिभाषित अनुच्छेद 110 में व इसकी प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 109 में किया गया है। इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
- राज्यसभा द्वारा धन विधेयक की प्राप्ति के 14 दिन बाद इसे लौटाना अनिवार्य है, अन्यथा इसे दोनों सदनों द्वारा पास माना जाता है।
- धन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होता है, गैर सरकारी विधेयक नहीं।

REET POLITY संसद

➢ धन विधेयक व साधारण विधेयक में अंतर

धन विधेयक	साधारण विधेयक
केवल लोकसभा में प्रस्तुत	किसी भी सदन में प्रस्तुत
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक	राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं
संयुक्त बैठक नहीं हो सकती तथा राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन रोक सकती है।	दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक हो सकती है।
राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता।	राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।

REET POLITY संसद

संविधान संशोधन विधेयक:-

- अनुच्छेद 368 में वर्णित संविधान संशोधन की शक्ति केवल संसद को दी गई है। इसके अनुसार संविधान में संशोधन दो प्रकार से हो सकता है-

1. विशेष बहुमत से
2. विशेष बहुमत व कम से कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों की सहमति से

- नोट : संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से भी किया जा सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में नहीं बल्कि संविधान के अन्य अनुच्छेदों में किया गया है।

REET POLITY संसद

- यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
- इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है अर्थात् दोनों सदनों से अलग-अलग पास होना जरूरी है।
- राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से इंकार नहीं कर सकते। (24वाँ संविधान संशोधन 1971)

REET POLITY संसद

राज्यसभा की लोकसभा के समान स्थिति :-

1. विधि निर्माण के सम्बन्ध में
2. संविधान संशोधन के सम्बन्ध में
3. राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग में
4. उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाना (हटाने की प्रथम पहल राज्यसभा से ही)
5. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग
6. राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति

REET POLITY संसद

राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को अधिक शक्तिः-

1. धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।
2. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है।
3. दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
4. राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, उसके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती।
5. मंत्रिपरिषद् केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती।

REET POLITY संसद

राज्यसभा के विशेषाधिकार:-

- राज्यसभा को ऐसे दो विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। ये है-

REET POLITY संसद

राज्यसभा के विशेषाधिकार

राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद को देना

अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर दे तो संसद उस विषय पर कानून बना सकेगी।

नयी अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना

अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नयी अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार संसद को दे सकती है।

REET POLITY संसद

- **नोट -** राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने, संविधान में संशोधन करने व उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा की बराबर की भूमिका होती है। अतः यह केवल राज्यसभा को प्राप्त विशेषाधिकार नहीं है।

REET POLITY संसद

लोकसभा की शक्तियाँ	राज्यसभा की शक्तियाँ
संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है।	सामानय विधेयकों पर विचार कर उनहें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है।
प्रश्न पूछ कर, पूरक प्रश्न पूछ कर प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है।	संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है।
संविधान में संशोधन करती है।	प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है।	राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है।
समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है	यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।

REET POLITY संसद

नोट-

- नव निर्वाचित संसद सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेते है।
- संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद के कार्य संचालन की भाषा हिन्दी व अंग्रेजी है किन्तु पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे सदस्य को जो उपर्युक्त भाषाओं में अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकता हो, अपनी मातृभाषा में बोलने की आज्ञा दे सकते है।
- 1983 से भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई।